आवेदन पत्र का प्रारूप

सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना 2011 जनपद मेरठ।

नवीन पासपोर्ट साईज का प्रमाणित फोटो चिपकाऐं

1. छात्रा का नामः...
2. पिता का नामः...
3. माता का नामः...
4. जन्म–तिथिः...
5. (क) छात्रा का स्थाई पताः...
   ....
   (ख) पत्र व्यवहार का पताः...
6. राष्ट्रीयकृत बैक में छात्रा द्वारा खोला गया खाता संख्याः...
   (क) बैक का नामः...शाखा.......................................
   (बैक पास बुक की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाये)
7. जाति (सामान्य / पिछडी / अनुसूचित / अल्प0):...
8. हाई स्कूल / पूर्व मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्षः........................अनुक्रमाकः...............................
9. बोर्ड का नामः...
10. विद्यालय का नाम, जहां छात्रा द्वारा कक्षा–11 में प्रवेश लिया गया हैः.......................................
    ....
11. बी0पी0एल0 कार्ड नम्बर.. अन्तोदय कार्ड नम्बर......................................
    बी0पी0एल0 / अन्तोदय कार्ड यदि ब्लाक द्वारा जारी किया है तो ब्लाक का नाम...
    बी0पी0एल0 / अन्तोदय कार्ड यदि तहसील द्वारा जारी किया है तो तहसील का नाम...
    (बी0पी0एल0 / अन्तोदय कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें, जो मुख्य पृष्ठ से लेकर अगले दो पृष्ठ तक पूर्ण रूप से हो)
12. अभिभावक (माता / पिता) का व्यवसायः...
    (क) कार्यरत स्थान का पताः...

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनायें एवं विवरण मेरे संज्ञान में सत्य है।

दिनांकः–

(प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

मैं एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर दी गयी जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है, तो मेरे पाल्य का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाये, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति न होगी।

दिनांकः–

(अभिभावक के हस्ताक्षर)

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि छात्रा / अभिभावक द्वारा दी गई सूचना सत्य है। आवेदन पत्र में सूचना गलत पायी जाने पर इनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाय

दिनांकः–

(प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर)
मुहर सहित

<u>अति–आवश्यक / तत्काल /</u>
<u>व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित</u>

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
मेरठ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,
समस्त शासकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त (**इण्टर कालिज**),
जनपद– मेरठ।

पत्रांकः सा0बा0शि0यो0 / / 2011–12 दिनांकः– 10-06-11

विषयः– **''सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना''** 2011–12 के अन्तर्गत आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या– 23 मई, 2011 द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे **(बी0पी0एल0 / अन्तोदय)** जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उददेश्य से **''सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना''** के अन्तर्गत इस वर्ष 2011 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है। पात्र बालिकाओं के सत्यापन में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए इसको सुचारू रूप से समयान्तर्गत क्रियान्वित किये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश दिये गये है।

<u>निर्देश</u>

(क) सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना के संबध में योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं के सत्यापन में सत्यापन में हो रहे विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुये जुलाई 2011 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में कक्षा–11 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के प्रवेश आवेदन के साथ ही सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना के लिये भी अर्ह एवं पात्र बालिकाओं से 31 जुलाई 2011 तक आवेदन पत्र प्राप्त कर लिये जायें।

(ख) उक्त समस्त कार्यवाही दिनांक 31 जुलाई 2011 तक पूर्ण करते हुये विकास खण्डवार तिथियां निर्धारित कर सत्यापन कार्य दिनांक 31–08–2011 तक पूर्ण करा लिया जाये।

अस्तु ''सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना'' वर्ष 2011 से सम्बन्धित आवेदन पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपकी संस्था में कक्षा–11 में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत ऐसी छात्राओं के आवेदन पत्र जो इस योजना हेतु मानक एवं शर्ते पूरी करती हो कक्षा–11 में प्रवेश के समय ही भरवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही आवेदन के संलग्नों सहित संकलित कर उसकी सूची तैयार कर एक मुश्त आवेदनों को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करायें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई आवेदन कार्यालय द्वारा प्राप्त नही किया जायेगा। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या यह भली भांति सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त पत्रजात (छाया प्रतियों) का मूल अभिलेखों से मिलान / जांचोपरान्त प्रमाणित कर संलग्न किया जाये।

उल्लेखनीय है कि उक्त योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्य महत्वाकांक्षी / शीर्ष प्राथमिकताओं से सम्बन्धित योजना है। प्रश्नगत योजना के सफल क्रियान्वयन / समयान्तर्गत / संचालन हेतु प्राथमिकता के आधार आपके सहयोग की आवश्यकता है। कृपया व्यक्तिगत रूचि लेकर योजनान्तर्गत आवेदन छात्राओं के भरवाकर कार्यालय में प्राप्त कराने का कष्ट करें, ताकि पात्र छात्राओं को लाभान्वित करने की कार्यवाही समय से पूर्ण की जा सके।

कृ0प0उ0................

इस योजना हेतु मानक एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

1– छात्रा जिसके द्वारा वर्ष 2011 की हाई स्कूल तथा पूर्व मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिशद, इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कक्षा–11 में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत हो अथवा उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिशद द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण कर उत्तर मध्यमा में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत हो।

2– छात्रा के अभिभावक (माता/पिता) **(बी0पी0एल0/अन्तोदय)** श्रेणी के कार्ड धारक हो।

3– चयनित छात्रा को देय धनराशि जनपदीय समिति के माध्यम से उसके द्वारा खोले गये राष्ट्रीयकृत बैक के खाते में अन्तरित की जायेगी। बैक पास बुक की प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये।

4– हाई स्कूल तथा पूर्व मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रा जिसने कक्षा–11 में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत हो, को प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें जिसके साथ हाईस्कूल परीक्षा 2010 की प्रमाणित अंक तालिका व प्रमाण पत्र, कक्षा–11 में प्रवेश लेने का प्रवेश फार्म, (तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **(बी0पी0एल0/अन्तोदय)** कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5– आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा संस्तुत एवं अग्रसारित किया जायेगा।

6– आवेदन पत्र के साथ **(बी0पी0एल0/अन्तोदय)** कार्ड दो प्रतियों में तथा समस्त संलग्नों की एक–एक प्रमाणित प्रति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नः– आवेदन पत्र का प्रारूप।

भवदीय

(कमलेश कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
मेरठ।

पृ0स0 सा0बा0शि0यो0/ 2111-12 /2011–12 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–10 लखनऊ।
2–आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
3–जिलाधिकारी, मेरठ।
4–मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
5–शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6–संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ।

(कमलेश कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
मेरठ।

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
मेरठ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रसाशन),
मेरठ।

पत्रांक सा0बा0शि0यो0/ 2285 /2011–12 दिनांकः– 20-06-2011

विषयः– सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना वर्ष 2011 के आवेदन पत्र को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में निवेदन है कि आज दिनांक 20–06–2011 को प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आहुत बैठक में अद्योहस्ताक्षरी को निर्देश दिये गये कि सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना वर्ष 2011 के आवेदन पत्र को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करा दिया जाये।

अतः प्राप्त निर्देशों के परिपालन हेतु सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना वर्ष 2011 के आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि आवेदन पत्र को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

संलग्नः–आवेदन पत्र

भवदीय

(कमलेश कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
मेरठ।

DIO NIC
प्र0 वेबसाईट पर अपलोड
कराएं।

अपर कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट (प्र0)
मेरठ।
20/6/11
ADM (E)